MOST-URGENT

65452
27.1.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(69)ग्राविवि/इआ/विविध/ग्रुप–5/2014–15 जयपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2015

जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– **वर्ष 2015–16 में इंदिरा आवास योजना का मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के साथ कनवर्जेन्स कर कार्य योजना बाबत्।**

प्रसंग :– भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र **J-15017/01/2014-RH Dated 02.01.2015.**

विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र (संलग्न) द्वारा जारी निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में निर्मित होने वाले आवासों का **मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के साथ कनवर्जेन्स कर** क्रियान्वयन 1 अप्रैल, 2015 से ही सुनिश्चित किया जाना है। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार गतिविधियों की समय सीमा (Timeline) निर्धारित की है।

इस क्रम में राज्य में इन्दिरा आवास योजना का **मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के साथ कनवर्जेन्स कर** वर्ष 2015–16 में क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं/अधिकारियों से निम्नानुसार कार्यवाही कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

गतिविधि का विवरण	अवधि/दिनांक
वर्ष 2014–15 के लक्ष्यों में 10 प्रतिशत जोडकर लक्ष्यों के आवंटन से पंचायत समितियों को सूचित करना –	25.01.2015
राज्य सरकार को पंचायत समिति से प्राप्त लक्ष्यों को संकलित कर जिलेवार लक्ष्यों से अवगत कराना –	07.02.2015
पंचायत समिति से बीपीएल सेन्सेस – 2002 व इसके उपरोक्त अपील के माध्यम से जुडे परिवारों में से इन्दिरा आवास योजना हेतु पात्र परिवारों की वर्गवार ग्राम पंचायतवार सूचना प्राप्त करना –	31.01.2015
पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना का माह फरवरी 2015 में प्रस्तावित ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराना (इसके अभाव में अन्य कार्य बाधित नहीं किये जावें) एवं मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर के साथ आवास योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कराना –	चुनाव उपरान्त ग्राम पंचायत की प्रथम ग्राम सभा में
वर्ष 2014–15 में स्वीकृत एवं गत वर्षों के अपूर्ण आवासों के लाभार्थियों, का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान आवास अधिकार कार्ड (प्रारूप संलग्न है) का वितरण –	28.02.2015. तक
राज्य सरकार को सूचित 10 प्रतिशत अधिक लक्ष्यों के अनुसार पात्र लाभार्थियों का एमआईएस में आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर व सीबीएसई/प्रधानमंत्री जनधन/ भामाशाह बैंक खातों के नम्बर सहित पंजीयन करना–	28.02.2015.
जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन – (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मुख्यकार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यक्रम समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन के जिला स्तरीय अधिकारी, बैंकर्स व आवास योजना से जुडे अन्य जिला स्तरीय स्टेक होल्डर्स की बैठक कर वर्ष 2015–16 में मेन्डेटरी कन्वर्जेन्स सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जावें।)	02.03.2015
वरीयता सूची अनुसार चयनित/पात्र लाभार्थियों क़ी सूची का सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करना एवं ग्राम पंचायत कार्यालय/अटल सेवा केन्द्रों पर लेखन कार्य।	20.03.2015 तक
आवंटित लक्ष्य अनुसार आवास सॉफ्ट में दर्ज पंजीयन के क्रम में स्वीकृति जारी करना	01.04.2015 से 10.04.2015
लाभार्थियों को प्रथम किश्त क़ी राशि जारी कर आवास अधिकार कार्ड तैयार कराना।	10.04.2015 तक
लाभार्थियों, स्थानीय कारीगरों, पंचायत कार्मिकों, योजना से जुडे अन्य कार्मिकों व पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं लाभार्थियों को आवास अधिकार कार्ड का वितरण –	15.04.2015 तक

D:\Letters\Letter xen (RH).docx